न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

राजस्व अपील सख्या 21/2013

1. काना पुत्र श्री बख्तावर गुर्जर
2. नानू पुत्र श्री उदा गुर्जर
दोनों जाति–गुर्जर एवं निवासीगण ग्राम–शिवनगर, ग्राम पंचायत–रामगढ़, तहसील–मसूदा जिला अजमेर ।

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भालू पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी गांव शिवनगर ग्रामपंचायत रामगढ़ तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0 ।
2. राजस्थान सरकार जरीये नायब तहसीलदार बिजयनगर तहसील–मसूदा जिला, अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार तहसील–मसूदा जिला, अजमेर।

........प्रत्यर्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :–

दिनांक 07–09-16

इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने सारांशतः निवेदन किया है कि उन्होंने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.का. अधि. के तहत न्यायालय हाजा में पेश किया जिसमें सफलता मिलने की पूरी आशा है । ग्राम शिवनगर पटवार क्षैत्र स्थित आराजी ख.नं. 785 रकबा 11 बिस्वा व 786 रकबा 3–06–00 किता 2 रकबा 3–17–00 बीघा शिवनगर भू.अ.नि. रामगढ तह. बिजयनगर प्रार्थी 1 व प्रार्थी 2 जो कि एक ही परिवार के है और इस पर संयुक्त रूप से कब्जे काश्त में है जिसमे प्रार्थी 2 का 1/2 हिस्सा है किन्तु प्रार्थी 1 के नाम होने से प्रार्थी2 को कोई एतराज नहीं था लेकिन अप्रार्थी सं0 1 ने इसका नाजायज लाभ उठाते हुए प्रार्थी 2 को कोई एतराज नहीं था । लेकिन अप्रार्थी सं0 1 ने इसका नाजायज लाभ उठाते हुए प्रार्थी 1 को पेशन कराने का लालच देकर बिजयनगर जाकर प्रश्नगत आराजी का अपने नाम विक्रय पत्र तकसीम करवा कर इन आराजियात मे अपना नाम लगवा लिया है और प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकियां दे रहा है अतः अप्रार्थी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे ।

वादीगण के वकील की बहस एक तरफा सुनी गई । उसके तर्क प्रा. पत्र अनुसार ही रहे । पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रश्नगत आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बिल एवज प्रतिफल विक्रय की गई तथा इसी आधार अप्रार्थी सं 1 को नाम नामान्तकरण से जमाबंदी में लगा है । ऐसी स्थिति में वक्रिय पत्र के मौजूद रहते अप्रार्थी 1 के विरूद्ध निषेधाज्ञा दिया जाना सर्वथा विधि विरूद्ध है ।

अतः प्रा.पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त किया जाता है ।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.14 11:16:10 IST
Reason: SelfAttested